माह जनवरी की एसीबी रिपोर्ट

माह जनवरी, 2023 तक (इस वर्ष में) भ्रष्टाचार के 25 प्रकरण एसीबी राजस्थान द्वारा पी.सी. एक्ट के तहत पंजीबद्ध किये गये हैं। इनमें 20 ट्रेप, 1 आय से अधिक सम्पत्ति के तथा 4 प्रकरण पद के दुरूपयोग के सम्मिलित हैं।

माह जनवरी, 2022 में 27 प्रकरण पंजीबद्ध हुए थे जबकि माह जनवरी, 2021 में 34 प्रकरण पी.सी. एक्ट के पंजीबद्ध हुए थे। (इस माह में हुए प्रमुख ट्रेप की सूची संलग्न है)

न्यायालय में अनुसंधान पूर्ण होकर प्रस्तुत किये गये अंतिम प्रतिवेदनों में भी इस अवधि में कीर्तिमान स्थापित हुआ है। माह जनवरी, 2023 तक 45 प्रकरणों में अंतिम नतीजा प्रस्तुत किया गया, जिनमें 35 चालान व 10 प्रकरणों में एफ.आर. सम्मिलित हैं। वर्ष 2022 में इसी अवधि में 32 प्रकरणों में तथा 2021 में 30 प्रकरणों में अंतिम नतीजा प्रस्तुत किया गया।

COMPERATIVE REGISTRATION & DISPOSAL UP TO 31 JAN. 2023

YEAR	REGISTRATION				DISPOSAL (SUBMIT IN COURT)		
	TRAP	D.A.	M.O.	TOTAL	FR	CHALLAN	TOTAL
2021	30	0	4	34	2	28	30
2022	26	1	0	27	2	30	32
2023	20	1	4	25	10	35	45

माह जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण प्रकरण

1.	03 / 2023	दिनांक 05.01.2022 को श्री ओमप्रकाश मीणा, अधिशाषी अभियंता, पी. डब्ल्यू डी. सवाईमाधोपुर एवं अन्य को परिवादी से निर्माण व मरम्मत कार्यों के बकाया बिलों का भुगतान करने की एवज में 45,000रू लेते गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया।
2.	05 / 2023	दिनांक 07.01.2023 को श्री हंसराम पटवारी पटवार हल्का पलासरा, तह0 व जिला सीकर के द्वारा परिवादी से भूमि का नामान्तरण दर्ज करने की एवज में 50,000 रू रिश्वत राशि लेने पर गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया।
3.	08 / 2023	दिनांक 10.01.2023 को श्री बुद्धराम, कानि0 नं0 1113 पुलिस थाना नयाशहर बीकनेर के द्वारा परिवादी से गिरफ्तारशुदा अभियुक्त से पुलिस अभिरक्षा में मारपीट नहीं करने एवं रिमाण्ड नहीं लेने व अन्य को एनडीपीएस एक्ट में नही फसाने की एवज में की एवज में 30,000रू रिश्वत राशि लेते हुये गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया।
4.	10 / 2023	दिनांक 11.01.2023 को श्री दिलीप कुमार मेहरा, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कुंजेड पंचायत समिति अटरू जिला बारा के द्वारा परिवादी द्वारा करवाये गये निर्माण कार्य, रखरखाव एवं मरम्मत कार्य के बिलों का भूगतान करने की एवज में 20,000 रू रिश्वत राशि लेते हुये गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया।
5.	12 / 2023	दिनांक 14.01.2023 को श्री शिम्भुदयाल, लाइजन अधिकारी आईआरबी मॉर्डन रोड मैकर्स प्रा0 लि0 एवं अन्य के द्वारा परिवादी से उसके निर्माणाधीन मकान स्वयं द्वारा नहीं तोड़ने एवं एनएचएआई अधिकारियों के द्वारा भी नहीं तोडने की जिम्मेदारी लेने की एवज में 50,000 रू रिश्वत राशि लेते हुये गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया।
6.	13 / 2023	दिनांक 14.01.2023 को श्रीमति दिव्या मित्तल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसओजी, अजमेर एवं अन्य के द्वारा परिवादी स्वयं व उसके पिता को एनडीपीएस की धाराओं में दर्ज मुकदमें में गिरफ्तार / कार्यवाही नहीं करने की एवज में 1,00,00,000 रू रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु सहमत होना व 25,00,000 रू देना तय होने पर तथा ट्रेप कार्यवाही की भनक लगने पर रिश्वत राशि नहीं ली, जिस पर प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।
7.	19 / 2023	दिनांक 21.01.2023 को श्री माया देवी, प्रधान पंचायत समिति उदयपुरवाटी जिला झुझुन्नू एवं अन्य के द्वारा परिवादी से उसके द्वारा विभिन्न सीसी रोड निर्माण कार्यों के बिलों का भुगतान करने की एवज में 50,000 रू रिश्वत राशि लेने पर गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया।
8.	22 / 2023	दिनांक 25.01.2023 को श्री मेघराज चांवरिया, वरिष्ठ सहायक, संस्थापन शाखा कार्यालय उपायुक्त नगर निगम, आदर्श नगर जोन, जयपुर के द्वारा परिवादी से उसके भाई की पत्नी के पेन्शन के बकाया बिलों का भूगतान करने की एवज में 25,000 रू रिश्वत राशि प्राप्त करने पर गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया।
9.	23 / 2023	दिनांक 26.01.2023 को श्री ओमप्रकाश वर्मा ऑफिस कानुनगो, तहसील कार्यालय चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर द्वारा परिवादी से उसके पिता के पक्ष में न्यायालय द्वारा किया गया फैसले के अनुसार नक्शाशीट राजस्व में दर्ज करने की एवज में 5,000 रू रिश्वत राशि प्राप्त करने पर गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया।
10.	25 / 2023	दिनांक 29.01.2023 को श्री प्रभाकर शर्मा, जिला बून्दी (प्राईवेट व्यक्ति) के द्वारा परिवादी से उसके चाचाजी की अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा अधिक दिलाने की एवज में 1,00,000 रू रिश्वत राशि प्राप्त करने पर गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया।